अब्बाराम **बनाम** सरकार
मु. संख्या–34 / 2020
पेज संख्या 1 / 5

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 34 / 2020

अपीलांटः–

अब्बाराम दतक पुत्र लाबुरामजी, जाति सीरवी, उम्र 62 वर्ष, निवासी बेरा भादवा, आगेवा, तहसील जैतारण जिला पाली(राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्टः–

भूमिधारी तहसीलदार, तहसील कार्यालय जैतारण, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री अशोक अरोड़ा एवं श्री तरूण उपाध्याय, विद्वान अभिभाषक अपीलांट की ओर से
2. राजपैरोकार रेस्पोडेन्ट की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

–: निर्णय :–

दिनांक : 6/1/22

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक), जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 103 / 2016 बउनवान अब्बाराम बनाम तहसीलदार जैतारण में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.02.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। वकील उभयपक्ष बहस सुनी गई।

विद्धान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा आगेवा, पटवार हल्का आगेवा, तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान के खसरा संख्या 435 रकबा 158 बीघा 10 बीस्वा चाही दोयम एवं खसरा संख्या 480 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा, किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा सख्या 481 रकबा 19 बीघा 06 बिस्वा, किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 482 रकबा 02 बीघा 6 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 478 रकबा 47 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 484 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा किस्म चाही दोयम के संबंध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषणा कराने का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। जो कि विधिसम्मत नही है। साथ ही वकील अपीलांट द्वारा बहस करते हुए

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निवेदन किया कि अपीलार्थी अब्बाराम स्वर्गीय लाबुराम जी पुत्र श्री छोगाराम जी का गोद पुत्र है जो सामाजिक रिति रिवाज के अनुसार स्वर्गीय लाबुराम जी के कोई जायंदा संतान पुत्र, पुत्रीया नही होने से उन्होने अपने जीवन काल मे जाति समाज ओर परिवार के रिति रिवाज के अनुसार रस्म अदा कर मोलिया बंधाकर, साफा बंधाकर, गोद लेने–देने गिविंग टंकिंग की रस्म पुर कर गॉव आगेवा में गांव के मौजिज व्यक्तियों एवं परिवार के सदस्यो के सम्मुख गोद लिया था और वादी अपीलांर्थी के जन्मदाता माता पिता ने गोद दिया था। तब से लेकर उक्त कृषि भूमि पर वाद/अपीलार्थी अपने गोद पिता लाबुराम जी के साथ काबिज रहा ओर दिनांक 07.05.2000 को वादी के गोद पिता लाबुराम जी की मृत्यु हो जाने के बाद लाबुराम जी की समस्त चल व अचल सम्पति पर ओर उपरोक्त कृषि भूमि पर वादी/अपीलार्थी ही काबिज है और कृषि भूमि पर अपीलार्थी मालिकाना अधिकार के रूप में बिना क़िसी रोक–टोक के लगातार काश्त करता आ रहा है, इस बाबत् किसी ने भी कोई आपत्ति नही की है। लाबुराम जी के फौत हो जाने के बाद समाज के रिति रिवाज के अनुसार और परिवार के रिति रिवाज के अनुसार समस्त कियाक्रम, पिण्डदान, बाहरवा इत्यादि का सारा कार्य वादी अपीलार्थी ने ही सम्पन्न किया था और लाबुराम जी के पुत्र की हैसियत से सम्पन्न किया था ओर समस्त खर्च भी वादी अपीलार्थी अब्बाराम ने ही वहन किया था।

साथ ही लाबुराम के स्वर्गवास के पश्चात लाबुराम जी के गोद पुत्र की हैसियत से फौतेदगी म्युटेशन के जरिये अपना नाम राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करवाने हेतु वादी अपीलार्थी ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार जैतारण के समक्ष पेश किया था जिस पर तहसीलदार जैतारण ने हल्का पटवारी को जॉच कर नियमानसुार कार्यवाही करने हेतु लिखा था। जिस पर हल्का पटवारी आगेवा ने दिनांक 01.03.2016 को मौके पर जाकर रूबरू मौतबिरान एवं सहखातेदारान की उपस्थिति में मौका देखकर फर्द मौका रिपोर्ट बनाई थी और मौके पर मौजुद व्यक्तियों के ओर सह खातेदारों के हस्ताक्षर करवाए थे ओर उक्त रिपोर्ट रेस्पोडेन्ट तहसीलदार जैतारण को पेश की थी। उस मौका रिपोर्ट में हल्का पटवारी ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि ''लाबुराम पुत्र छोगाराम व उसकी पत्नी माडकी की मृत्यु हो चुकी है इन दोनो के कोई जायंदा पुत्र व पुत्रीया नही है। लाबुराम के द्वारा अपने जीवनकाल में अपने भाई का पुत्र अब्बाराम पुत्र भियाराम को गोद लेना उपस्थित मौतबीरान ने बताया और यह भी बताया कि कानूनी की जानकारी नही होने से गोदनामा का लिखत लिखकर पंजीयन नही करवाया गया और लाबुराम जी की खातेदारी कृषि भूमि का उपयोग–उपभोग अब्बाराम के द्वारा किया जाता है।'' उस रिपोर्ट पर अपीलार्थी के पूर्व के भाई भुराराम पुत्र भीयाराम ने अपने हस्ताक्षर किये थे और पूर्व भाई लादुराम पुत्र भीयाराम ने अंगुष्ठ निशान किये थे और सरपंच ग्राम पंचायत आगेवा ने भी अपनी सील लगाकर हस्ताक्षकर करते हुए उक्त तथ्यों की पुष्ठी की थी। गांव के दो मौजिज व्यक्तियों ओगडराम पुत्र दीपाराम और दुगौराम पुत्र रतनाराम ने अपने अंगुष्ठ निशान किये थे। उक्त मौका रिपोर्ट की फोटो पति श्रीमान के अवलोकनार्थ अपील के साथ संलग्न प्रस्तुत है। साथ ही वकील अपीलार्थी द्वारा यह अवगत करवाया कि अपीलार्थी अब्बाराम के अलावा स्वीर्गीय लाबुराम का कोई विधिक उत्तराधिकारी नही है और वादी अपीलार्थी अब्बाराम एकमात्र लाबुराम जी का पुत्र है और सबुत के तौर पर राशनकार्ड, गैस कनेक्शन की डायरी, परिचय पत्र, आधार कार्ड, बैंक के बचत खाते की फोटो प्रति, नरेगा जॉब कार्ड की फोटो प्रति, वाद के साथ प्रस्तुत की थी जिसमें वादी अपीलार्थी के पिता का नाम लाबुराम होना दर्ज है। उक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए रेस्पोडेन्ट तहसीलदार जैतारण ने वादी अपीलार्थी का नाम फौतेदगी म्युटेशन के जरिये

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद नही किया इसलिए वाद पेश कर यह अनुतोष चाहा गया था कि अपीलार्थी को लाबुराम की हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और अब्बाराम स्वर्गीय लाबुराम जी का गोद पुत्र है इस कारण फोतेदगी म्युटेशन के जरिये वादी अब्बाराम का नाम राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किये जाने हेतु निवेदन किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई ठोस कानूनी अधिकार के खारिज कर विधि विरूद्ध तरीके से जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है। जो कि विधिसम्मत नही है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाते हुए वादग्रस्त आराजी के अपील में वर्णित हक हिस्से अनुसार अपीलार्थी का रेकर्ड दुरस्ती करण का आदेश प्रदान करावे। अपीलाण्ट ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांट 1991 (2) WLN page no 430 एवं 2021 (2) rrt 1464 पेश किये।

रेस्पोडेन्ट राजपैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा आगेवा, पटवार हल्का आगेवा, तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान के खसरा संख्या 435 रकबा 158 बीघा 10 बीस्वा चाही दोयम एवं खसरा संख्या 480 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा, किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा सख्या 481 रकबा 19 बीघा 06 बिस्वा, किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 482 रकबा 02 बीघा 6 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 478 रकबा 47 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 484 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा किस्म चाही दोयम के संबंध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषणा कराने का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पूर्णतया विधि सम्मत तरीके से पारित की गई है। अपीलार्थी का लाबूराम का गोद पुत्र है इस बाबत अपीलार्थी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया, जिससे अपीलार्थी स्वयं को रजिस्टर्ड गोदपुत्र साबित करने मे असफल रहा। उक्तानुसार अब्बाराम को लाबुराम का कानूनन गोदपुत्र साबित नही होने के कारण अपीलार्थी के पक्ष में खातेदारी अधिकारों की घोषणा करना विधि संगत प्रतीत नही होता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री विधि सम्मत पारित की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

वकील अपीलांट द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील अपीलांट निवेदन एवं अपील के साथ संलग्न धारा 5 के प्रार्थना पत्र मे अकिंत तथ्यों पर मनन किया जाकर म्याद प्रार्थना पत्र को कन्डोन किया जाकर हस्तगत अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है।

वकील उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा आगेवा, पटवार हल्का आगेवा, तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान के खसरा संख्या 435 रकबा 158 बीघा 10 बीस्वा चाही दोयम एवं खसरा संख्या 480 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा, किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा सख्या 481 रकबा 19 बीघा 06 बिस्वा, किस्म दोयम, खसरा संख्या 482

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रकबा 02 बीघा 6 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 478 रकबा 47 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 484 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा किस्म चाही दोयम के संबंध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषणा कराने का अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने दावे के समर्थन मे पेश दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश किए, जिनका रेस्पोडेन्ट ने कोई खण्डन नही किया ओर अपीलार्थी के गवाह PW–1 अब्बाराम, PW-2 ओगड़राम, PW–3 भूराराम तथा लादूराम से भी किसी प्रकार की जिरह नही की और उनके शपथपूर्वक कहे गए कथनो का खण्डन भी नही किया और ना ही रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने जवाब दावे के समर्थन मे कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही किया।

उक्त के अतिरक्त वकील अपीलांट द्वारा दौरान बहस अवगत करवाया गया कि अपीलार्थी अब्बाराम एकमात्र लाबुराम जी का पुत्र है और सबुत के तौर पर राशनकार्ड, गैस कनेक्शन की डायरी, परिचय पत्र, आधार कार्ड, बैंक के बचत खाते की फोटो प्रति, नरेगा जॉब कार्ड की फोटो प्रति, वाद के साथ प्रस्तुत की थी जिसमें वादी अपीलार्थी के पिता का नाम लाबुराम होना दर्ज है। राशनकार्ड की प्रति पेश की है जो कि लाबुराम ने अपने जीवन काल में बनवाया था जिसमें लाबुराम ने अब्बाराम को अपना पुत्र माना है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि लाबुराम अपीलार्थी अब्बाराम को अपना उत्तराधिकारी मानता था एवं अपने गोद पुत्र के रूप मे अपने साथ रखा किन्तु समझदारी के अभाव में गोदनामा रजिस्टर्ड नही करवया। साथ ही हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार जैतारण ने हल्का पटवारी को जॉच कर नियमानसुार कार्यवाही करने हेतु लिखा था। जिस पर हल्का पटवारी आगेवा ने दिनांक 01.03.2016 को मौके पर जाकर रूबरू मौतबिरान एवं सहखातेदारान की उपस्थिति में मौका देखकर फर्द मौका रिपोर्ट बनाई थी और मौके पर मौजुद व्यक्तियों के ओर सह खातेदारों के हस्ताक्षर करवाए थे ओर उक्त रिपोर्ट रेस्पोडेन्ट तहसीलदार जैतारण को पेश की थी। उस मौका रिपोर्ट में हल्का पटवारी ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि ''लाबुराम पुत्र छोगाराम व उसकी पत्नी माडकी की मृत्यु हो चुकी है इन दोनो के कोई जायंदा पुत्र व पुत्रीया नही है। लाबुराम के द्वारा अपने जीवनकाल में अपने भाई का पुत्र अब्बाराम पुत्र भियाराम को गोद लेना उपस्थित मौतबीरान ने बताया और यह भी बताया कि कानूनी की जानकारी नही होने से गोदनामा का लिखत लिखकर पंजीयन नही करवाया गया और लाबुराम जी की खातेदारी कृषि भूमि का उपयोग–उपभोग अब्बाराम के द्वारा किया जाता है।'' उस रिपोर्ट पर अपीलार्थी के पूर्व के भाई भुराराम पुत्र भीयाराम ने अपने हस्ताक्षर किये थे और पूर्व भाई लादुराम पुत्र भीयाराम ने अंगुष्ठ निशान किये थे। और सरपंच ग्राम पंचायत आगेवा ने भी अपनी सील लगाकर हस्ताक्षकर करते हुए उक्त तथ्यों की पुष्ठी की थी।

उक्त समस्त दस्तावेजात के साथ–साथ अपीलार्थी द्वारा ग्राम पंचायत आगेवा द्वारा दिनांक 07.09.2021 सरपंच के हस्ताक्षर मय मोहर के जारी प्रमाण पत्र में भी यह स्वीकार किया गया है कि'' लाबूराम पुत्र छोगाराम जी जाति सीरवी निवासी आगेवा तहसील जैतारण जिला पाली राज0 के कोई जीवित संतान नही थी इस कारण उन्होंने अपने भाई भीयाराम जी के पुत्र अब्बाराम जी को गोद लिया था, अब्बाराम तब से लाबूराम जी के गोदीपुत्र के रूप मे जाने जाते है। लाबूराम जी की मृत्यु होने पर अब्बाराम जी ने ही जाति रिति रिवाज के अनुसार समस्त कियाकर्म आदि का कार्य किया था। जिस पर परिवार व समाज के मौजिज लोगों के हस्ताक्षर करवाये गये है''

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

साथ ही अपीलार्थी द्वारा सहखातेदारों का सहमती पत्र भी प्रस्तुत किया है। जिसमें लाबूराम द्वारा अपने जीवन काल में अब्बाराम को गोद पुत्र होना स्वीकार किया गयाहै।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा पेश समस्त दस्वोजी साक्ष्य, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट एवं बयान, गवाह एवं मोजिज व्यक्तियों द्वारा दिये गये बयान से हाजा न्यायालय कों अपीलार्थी को लाबूराम का गोद पुत्र होना प्रतीत होता है। न्यायालय हाजा व्यापक न्यायिक दृष्टीकोण एवं मानवीय दृष्टीकोण को मध्यनजर रखते हुए अपीलार्थी लाबूराम का गोद पुत्र होने के कारण लाबुराम का उत्तराधिकारी होना न्यायिक प्रतीत होता है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय एवं डिक्री में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का बिना विधिवत परीक्षण किये ही पारित की गई हैं जो हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नही होती है। अपीलाण्ट द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांट 1991 (2) WLN page no 430 एवं 2021 (2) rrt 1464 इस प्रकरण पर चस्पा होते है इसी नजीर के कानूनी आधारो पर यह आदेश पारित किया गया है

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। तथा सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक), जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 103 / 2016 बउनवान अब्बाराम बनाम तहसीलदार जैतारण में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.02.2020 को अपास्त किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा आगेवा, पटवार हल्का आगेवा, तहसील जैतारण जिला पाली राजस्थान के खसरा संख्या 435 रकबा 158 बीघा 10 बीस्वा चाही दोयम एवं खसरा संख्या 480 रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा, किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा सख्या 481 रकबा 19 बीघा 06 बिस्वा, किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 482 रकबा 02 बीघा 6 बिस्वा किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 478 रकबा 47 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 484 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा किस्म चाही दोयम में लाबूराम पुत्र छोगाराम के हिस्से का अपीलांट अब्बाराम गोदपुत्र लाबूराम को न्यायिक दृष्टांट 1991 (2) WLN page no 430 एवं 2021 (2) rrt 1464 इस प्रकरण पर चस्पा होते है इसी नजीर के कानूनी आधारो पर यह आदेश पारित किया गया है अपीलाण्ट का राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार अमल एवं इन्द्राज किया जावे । तहसीलदार, जैतारण उक्तानुसार अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड मे अमलदरामद करें, इस हेतु तसीलदार जैतारण को तहरीर जारी हो। तदानुसार डिक्री पर्चा जारी हों। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लोटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 6/1/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली